राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– 60/2025

दायर तारीख 20/03/2025

अनवान

01. बाबुलाल पुत्र हरदेव जाति भाट उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गुढ़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

............प्रार्थीगण

बनाम

01. अनुराधा पुत्री सोहनलाल पत्नि ओम प्रकाश जाति भाट उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गुढ़ा तहसील बिजौलियां हाल मुकाम तीनबस्ती चौराहा ठेका के सामने वाली गली बून्दी, तहसील एवं जिला बून्दी (राज0)।
02. दिनेश पुत्र सोहन जाति भाट उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गुढ़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
03. बनवारी पुत्र सोहन जाति भाट उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गुढ़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
04. बादाम देवी पत्नि सोहन जाति भाट उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गुढ़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
05. मुकेश पुत्र सोहन जाति भाट उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गुढ़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
06. विजयलाल पुत्र सोहन जाति भाट उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गुढ़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
07. हंसराज पुत्र सोहन जाति भाट उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गुढ़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
08. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... विपक्षीगण

उपस्थित :1. श्री रामफूल धाकड़ – अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 14/10/2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता रामफूल धाकड ने **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** विरूद्ध विपक्षीगण पेश कर निवेदन किया/अनुतोष चाहा की प्रार्थी के स्वामित्व की खातेदारी ग्राम गुढ़ा पटवार हल्का गुढ़ा तहसील बिजौलियां में स्थित आराजी नम्बर 476/1 रकबा 0.1457 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 477/1 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 479/2 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 480/2 रकबा 0.2104 हैक्टेयर कुल किता 04 रकबा 0.6070 हैक्टेयर भूमि में आने जाने के लिए 15 फीट चौड़ा रास्ता विपक्षीगण की खातेदारी आराजी नम्बर 912/469 रकबा 0.6475 हैक्टेयर भूमि के पूर्व एवं दक्षिण दिशा की तरफ होकर आगे बिलानाम आराजी नम्बर 469 रकबा 0.5342 हैक्टेयर में होकर आगे राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज सड़क तक पहुंचना बताया हैं। प्रार्थी कई वर्षों से निरन्तर इसी रास्ते को उपयोग उपभोग

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

कर प्रार्थी द्वारा अपनी आराजीयात पर काश्त की जा रही है। रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से प्रार्थी को अपनी आराजियात में आने जाने के लिये परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अपनी आराजियात पर काश्त करने के लिए आने–जाने हेतु ट्रेक्टर, बैलगाडी ले जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। यह कि प्रार्थी को विपक्षी की उक्त आराजियात पर स्थित 15 फीट चौड़े रास्ते को रिकॉर्ड में लेने के बदले में तय किये जाने वाला सरकारी मूल्य के आधार पर मुआवजा को तैयार हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते को नियमानुसार कायम करवा कर राजस्व अभिलेखों में दर्ज अभिलेख कराया जाने का आदेश फरमावें। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दीयां संवत् 2076–2079 ग्राम गुढ़ा एवं नक्शा ट्रेस उक्त आराजीयात का पेश किया जो संलग्न पत्रावली है।

प्रार्थनापत्र दिनांक 20.03.2025 को दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगण तलबी जरिये नोटिश मय नकल प्रार्थनापत्र भेज करवाई गई। विपक्षी की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार बिजौलियां को निरिक्षण/मौका रिपोट/तथ्यात्मक रिपोर्ट के लिए तहरीर पत्रांक/रीडर/2025/1690 दिनांक 20.08.2025 को जारी की गई। जिसके जवाब में तहसीलदार बिजौलियां के पत्रांक/राजस्व/2025/1458 दिनांक 09.09.2025 से स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार बिजौलियां ने अपनी स्थल निरिक्षण रिपोर्ट/मौका पर्चा अनुसार मौका स्थिति एवं राजस्व रेकॉर्ड अनुसार ग्राम गुढा के आराजी नं0 476/1, 477/1, 479/2, 48/2 कुल किता 4 रकबा 0.6070 है0 भूमि में जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही है। प्रार्थी उक्त भूमि में आने जाने हेतु बिलानाम आराजी नं0 469 व खातेदारी आ0नं0 912/469 मे से 15 फीट चौडाई का रास्ता दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया प्रस्तावित रास्ते को सलंग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ते का रकबा निम्नानुसार हैं :–

क्र.सं.	आ0नं0	कुल रकबा (है0 में)	रास्ता हेतु प्रस्तावित रकबा (है0 में)
1	469	0.5342	0.0302
2	912/469	0.6475	0.0197
	कुल किता – 2		0.0499

प्रस्तावित रास्ता खनिज संभावित क्षेत्र से लगता हुआ है। तथा एस.एच. से लगती हुई है। तथा प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम रास्ता है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है।

ग्राम गुढा की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आ0नं0 469 व 912/469 कुल किता 2 मे से रकबा 0.0499 है0 भूमि की डी.एल.सी. दर 2301400/– रू0 प्रति है0 से भूमि की मालियत 114840/– रूपये का दुगुना से 229680/– रूपये की राशि बनती है।

तहसीलदार बिजौलियां से स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के साथ मौका पर्चा, नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस पेश किया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त स्थल निरिक्षण रिपोर्ट को स्वीकार किया। पैरोकार सरकार ने किसी प्रकार का ऐतराज जांच रिपोर्ट पर नहीं किया। पत्रावली को बहस के स्तर पर रखा गया।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 03 पर

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत साक्ष्य एवं उभयपक्षकारान सुनने एवं तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात् आदेश पारित किए जाते हैं कि :–

–: आदेश :–

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** प्रार्थी के पक्ष में स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण के स्वयं की खातेदारी भूमि ग्राम गुढ़ा पटवार हल्का गुढ़ा तहसील बिजौलियां में स्थित आराजी नम्बर 476/1 रकबा 0.1457 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 477/1 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 479/2 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 480/2 रकबा 0.2104 हैक्टेयर कुल किता 04 रकबा 0.6070 हैक्टेयर भूमि में आने जाने के लिए रास्ते हेतु आराजी नम्बर 469 रकबा 0.5342 हैक्टेयर में से 0.0302 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 912/469 रकबा 0.6475 हैक्टेयर में से 0.0197 हैक्टेयर कुल किता 02 में से रकबा 0.0499 है0 भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकीन रास्ता (रास्ता पगडंडिया) अभिलिखित/दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

ग्राम गुढ़ा पटवार हल्का गुढ़ा की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आ0नं0 469 व 912/469 कुल किता 2 मे से रकबा 0.0499 है0 भूमि की डी.एल.सी. दर 2301400/– रू0 प्रति है0 से भूमि की मालियत 114840/– रूपये का दुगुना से 229680/– रूपये की राशि बनती है। जो कि बतौर मुआवजा भुगतान योग्य हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा कराने पर नियमानुसार रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 14/10/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा